

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0095439345



Payment Date: 09/10/2024 13:07:00

Office Name: SUB REGISTRAR-II REGISTRATION & STAMPS, SANGANER
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 09/10/2024-To-31/10/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	100.00
Commision(-):		0.00
Total/NetAmount:		100.00

One Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: ADVOCATE KUMAR SEN	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode):	JAIPUR(302021)
Address:KHASRA NO. 96/193, 97/194, 148/1, 172, VILLAGE JAGAT SARVANPURA, TEHSIL SANGANER, JAIPUR	Remarks:SEARCH AND INSPECTION	

Payment Details:

Bank:	UPI	Challan No. -	0
Date:	09/10/2024 13:07:00	Bank CIN No:	CNRB9543934509102024
		Refrence No:	IK20241009020462

Computer generated copy on : 09/10/2024

Courtsy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

KUMAR SEN
Advocate
Rajasthan High Court,
Jaipur



Office/Res.:-
128, Pawanputra-H, Meenawala,,
Jaipur, Rajasthan – 302034
Mob: 8003494406
Email ID – ksdiwaker@gmail.com

Date: 09.10.2024



TITLE REPORT

To whomsoever it may concern

Subject:- Title Search Report of the Project “GULAB HARI ENCLAVE BLOCK-C” situated at Khasra No. 96/193, 97/194, 148/1, 172, Village Jagat Sarvanpura, Tehsil Sanganer, Jaipur, Rajasthan.

Name of Owner with Full Address

Mr. Dilip Singh S/o Dr. Hari Singh R/o B-209-C, Rajendra Marg, Nagar Nigam Office, Opp. Ward No. 45, Bapu Nagar, Jaipur, Rajasthan.

List of documents with respect to Khasra No. 96/193, 97/194, 148/1, 172, Village Jagat Sarvanpura, Tehsil Sanganer, Jaipur, Rajasthan admeasuring 1.44 Hectare

1. Copy of Jamabandi of Khasra No. 96/193, 97/194, 148/1, 172, Village Jagat Sarvanpura, Tehsil Sanganer, Jaipur, Rajasthan in favour of Mr. Dilip Singh S/o Dr. Hari Singh.
2. Copy of Conversion Letter (90A) of JDA No. LU2012/JDA/2023-24/102506 dated 24.04.2023 issued by Zone-11, Jaipur Development Authority in favour of Mr. Dilip Singh S/o Dr. Hari Singh R/o Keru, Tehsil Udaipurwati, Jhunjhunun, Rajasthan.
3. Copy of Map Approval Letter of JDA No. एफ()जविप्रा / जोन-11 / 2024 / डी-1985 dated 27.09.2024 issued by Zone-11, Jaipur Development Authority in favour of Mr. Dilip Singh S/o Dr. Hari Singh R/o B-209-C, Rajendra Marg, Nagar Nigam Office, Opp. Ward No. 45, Bapu Nagar, Jaipur, Rajasthan.

Conclusion/ Observation, if any

As per the photocopy/ zerox of the original documents submitted by the party and details mentioned therein, I am of the opinion that Mr. Dilip Singh S/o Dr. Hari Singh R/o B-209-C,

[Signature]
Advocate Kumar Sen
Raj. High Court, Jaipur
E. No.-R/1181/2024

KUMAR SEN

Advocate
Rajasthan High Court,
Jaipur

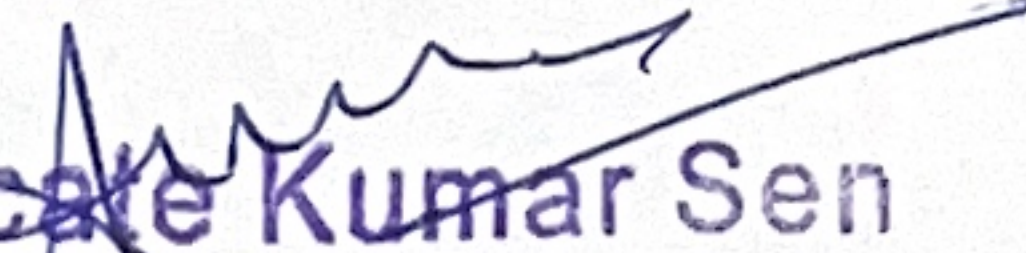


Office/Res.:-

128, Pawanputra-H, Meenawala,,
Jaipur, Rajasthan – 302034
Mob: 8003494406
Email ID – ksdiwaker@gmail.com



Rajendra Marg, Nagar Nigam Office, Opp. Ward No. 45, Bapu Nagar, Jaipur, Rajasthan is the absolute owner of the Khasra No. 96/193, 97/194, 148/1, 172, Village Jagat Sarvanpura, Tehsil Sanganer, Jaipur, Rajasthan admeasuring 1.44 Hectare and the said land is clear, marketable and free from all encumbrances.


Advocate Kumar Sen
Raj. High Court, Jaipur
Advocate Kumar Sen
(Enrolment No. 1181/16)



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- जगतश्रवणपुरा
पटवार हल्का :- मुहाना
भू.अभि.नि. :- मुहाना
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

सम्बत :- 2070 - 2073
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 7
खाता संख्या पुराना :- 7

काश्तकार का नाम:-

दिलीप सिंह पुत्र डा.हरीसिंह जाती जाट नि.केरू तह.उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
136	0.0900	बारानी 1	0.0900	0.7020		
148/1	1.3400	चाही 2	1.3400	38.8600		
172	1.8300	जाव 2	0.5300	7.6850		
		चाही 2	1.3000	37.7000		
179	0.0800	बारानी 1	0.0800	0.6240		
180	1.5600	चाही 2	0.6500	18.8500		
		जाव 2	0.9100	13.1950		
96/193	0.0600	चाही 1	0.0600	2.1600		
97/194	0.0200	चाही 1	0.0200	0.7200		
कुल खसरे - 7	4.9800		4.9800	120.49		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 24-Jun-2024





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (11)
राजस्थान सरकार



कमांक:— LU2012/JDA/2023-24/102506

दिनांक 24/04/2023

विषय:— राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:-

श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरी सिंह जाति जाट सा. केरू, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झनू।

- ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	जगतश्रवणपुरा, सांगानेर (जयपुर)	श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरी सिंह जाति जाट सा. केरू, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झनू।	96 / 193	600	0.06
			97 / 194	200	0.02
			148 / 1	13400	1.34
			172	200	0.02
कुल					1.44

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 24-04-2023 को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- जगतश्रवणपुरा
पटवार हल्का :- मुहाना
भू.अभि.नि. :- मुहाना
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 31
खाता संख्या पुराना :- 7

काश्तकार का नाम:-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	1.3300	चरागाह	1.3300		स्वीकृत नामांतरकरण : 94 06/05/2023	सर्मपण
128	0.0200	बारानी 1	0.0200	0.16	स्वीकृत नामांतरकरण : 95 11/05/2023	सर्मपण
129	0.0500	बारानी 1	0.0500	0.39	स्वीकृत नामांतरकरण : 96 15/06/2023	सर्मपण
130/2	0.4100	गै.मु.	0.4100			
130/3	0.4000	गै.मु.	0.4000			
133	0.0500	चरागाह	0.0500			
134	0.0100	चरागाह	0.0100			
135	0.3400	चरागाह	0.3400			
138	0.0600	गै.मु.	0.0600			
139	0.0600	गै.मु.	0.0600			
140	1.1900	गै.मु.	1.1900			
148/1	1.3400	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.3400			
152	0.8100	गै.मु.	0.8100			
153	0.0100	गै.मु.	0.0100			
154	0.0800	गै.मु.	0.0800			
155	0.7000	गै.मु.	0.7000			
156	0.6900	गै.मु.	0.6900			
157	0.2200	गै.मु.	0.2200			
158	0.0100	गै.मु.	0.0100			
159	0.7000	गै.मु.	0.7000			
160	0.0200	गै.मु.	0.0200			
161	0.3700	गै.मु.	0.3700			
162/196	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100			
162/2	0.2300	गै.मु.	0.2300			
162/3	1.0056	गै.मु.	1.0056			
163/2	0.0200	गै.मु.	0.0200			
163/3	0.0844	गै.मु.	0.0844			
174	1.2000	गै.मु.	1.2000			
175	0.1500	गै.मु.	0.1500			
179	0.0800	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0800			



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- जगतश्रवणपुरा
पटवार हल्का :- मुहाना
भू.अभि.नि. :- मुहाना
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 31
खाता संख्या पुराना :- 7

191/172	0.4200	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.4200	
193/180	1.4000	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.4000	
194/180	0.1600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1600	
195/192	1.3900	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.3900	
196/192	0.0200	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0200	
2	0.4900	चरागाह	0.4900	
3	0.0300	चरागाह	0.0300	
31	0.0200	बारानी 2	0.0200	0.12
32	0.2100	बारानी 1	0.2100	1.64
33	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200	
34	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300	
35	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100	
36	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500	
37	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100	
38	0.0500	चाही 2	0.0100	0.29
		जाव 2	0.0400	0.58
4	0.0100	जाव 2	0.0100	0.15
46	0.0200	बारानी 3	0.0200	
47	0.0600	चाही 2	0.0100	0.29
		जाव 2	0.0500	0.73
48	0.2900	बारानी 3	0.2900	
49	0.0400	चाही 2	0.0100	0.29
		जाव 2	0.0300	0.44
57	0.0100	जाव 2	0.0100	0.15
58	0.0200	चाही 2	0.0200	0.58
96/193	0.0600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0600	
97/194	0.0200	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0200	

कुल खसरे - 54 16.5900 16.5900 5.8100

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 24-Jun-2024



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- जगतश्रवणपुरा
पटवार हल्का :- मुहाना
भू.अभि.नि. :- मुहाना
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 31
खाता संख्या पुराना :- 7





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (11)
राजस्थान सरकार

UR/90A

खसरा = 11 आवा

12/4/23

क्रमांक— LU2012/JDA/2022-23/102442

दिनांक 31/03/2023

विषय— राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं—

श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरी सिंह जाति जाट सा. कैला, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झुनू।

- ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है।

ख.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	आवेदक का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	जगतलक्ष्मणपुरा, सांगानेर (जयपुर)	श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरी सिंह जाति जाट सा. कैला, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झुनू।	179	800	0.08
		1.56	180	14000	1.40
		1.83	172	4200	0.42
कुल					1.90

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित शतिपूर्ति बंधपत्र और रायबधन, की-मैप, अभिव्यक्त योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कचनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए पॉजिटिव उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिव्यक्ति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिव्यक्ति अधिकार निर्धारित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिव्यक्ति अधिकारी को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्धारित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्यवसायीय रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथावस्थित प्रोपियम, नगरीय निर्माण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रकार के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिव्यक्त योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सांगानेर जिला जयपुर

क्रमांक/भू.अ./2023/100ए/नामा/ 3063

दिनांक 13/4/23

पटवारी हल्का

मुहाना

प्राप्त आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि प्रकरण में यदि किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा राजहित प्रभावित नहीं होता हो तो नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कार्यालय हाजा की नियंत्रण पंजिका में जायजा अंकित करें।

तहसीलदार (भू.अ.) सांगानेर

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर जिला

पटवार मण्डल : मुहाना

भू.अ.नि.वृत्त : मुहाना

तहसील : सांगानेर

विलस जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार : समर्पण

प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक : 94 05/05/2023

संवत् तथा दाल बांछ की क्रम संख्या : 2074-2077

प्रविष्टिकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :

नामांतरकरण शुल्क : 20 राशि : 0



सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	172	1.3000	चाही 2	37.70	1.) दिलीपसिंह पुत्र डा.हरीसिंह	11	1.) दिलीपसिंह पुत्र डा.हरीसिंह	192/172	1.3000	चाही 2	37.70
		0.5300	जाव 2	7.69	हिस्सा- पूर्ण		हिस्सा- पूर्ण		0.1100	जाव 2	1.60
	179	0.0800	बारानी 1	0.62	जाति- जाट सा. केरू तह.उदयपुरवाटी जिला		जाति- जाट सा. केरू तह.उदयपुरवाटी जिला झुन्झुन खातेदार	194/180	0.0000	चाही 2	0.00
	180	0.6500	चाही 2	18.85					0.1600	जाव 2	2.32
		0.9100	जाव 2	13.20			--बदस्तूर खसरा--				
--बदस्तूर खसरा--											
खाता : 11	कुल खसरे : 7	कुल क्षेत्रफल : 4.9800	कुल काश्तकार : 1			खाता : 11	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 6	कुल क्षेत्रफल : 3.0800		
						31	1.) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर	179	0.0800	आवासीय प्रयोजनार्थ	
							हिस्सा- पूर्ण	191/172	0.4200	आवासीय प्रयोजनार्थ	
							संस्था के लिए	193/180	1.4000	आवासीय प्रयोजनार्थ	
							--बदस्तूर खसरा--				
						खाता : 31	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 48	कुल क्षेत्रफल : 13.6000		

प्रमाणित, मुद्रांकित तहसील का.क्र. / भू.क्र. / 2023 / 900 / नामा. / 3063 दि. 13/5/23 के जविद. के नाम नामा. (क) पटवारी की रिपोर्ट :
 मुद्रांकित पत्राची रिपोर्ट के आंकड़ों पर मुहाना तहसील में सही है। मुद्रांकित काबिलबिबि कोड के अनुसार, सही मंजूर. मंडल पटवारी का नाम
 दिनांक 06/05/23

(ख) भू.अ. निरीक्षक की जांच रिपोर्ट :
 मुद्रांकित पत्राची रिपोर्ट के आंकड़ों पर मुहाना तहसील में सही है।
 भू.अ. निरीक्षक का नाम
 दिनांक 06/05/23

(ग) ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का आदेश :
 मुद्रांकित पत्राची रिपोर्ट के आंकड़ों पर मुहाना तहसील में सही है।
 तहसीलदार
 तहसील-सांगानेर



Put Up For Approval Details

Date : 05/05/2023 08:30:02 AM

Dist : 09 जयपुर, Tehsil : 295 सोंगानेर, RI : 1318 मुहाना, Halkas : 05248 मुहाना, Village : 19632 जगतशरणपुरा

Unit:

Mutation No.	Mutation Date	User	Plot No.	Area	Mutated Plots	Area	type
94	05/04/2023	DINESH	172	1.8300(ROR)	191/172 192/172	NA NA	

प्रशासन गाँव के संग अभियान-2023

कैम्प.....



Scale 1: = 4000



Heena
9.5.23

IR 3612



05/04/2023

DINESH

180

1.5600(ROR)

194/180

193/180

NA

NA

प्रशासन गाँव के सन



Heena
प्र. मंत्री

ILR
ILR प्रमुख





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (11)
राजस्थान सरकार

खसरा = 11 आवा

UR/90A



क्रमांक— LU2012/JDA/2022-23/102442

दिनांक 31/03/2023

विषय— राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1986 की धारा 90-क के अधीन भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं—

श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरी सिंह जाति जाट सा. कैल, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झुनू।

- ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1986 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	आवेदक का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	जगतलक्ष्मणपुरा, सांगानेर (जयपुर)	श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरी सिंह जाति जाट सा. कैल, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झुनू।	179	800	0.08
		1.56	180	14000	1.40
		1.83	172	4200	0.42
कुल					1.90

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित दस्तावेजों के साथ और राजस्व, की-मैप, अभिव्यक्ति योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कबजों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए पॉजिटिव उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1986 की धारा 90-क और राजस्थान अभिव्यक्ति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिव्यक्ति अधिकार नियमित करने के लिए आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिव्यक्ति अधिकारी को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा और इन आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के प्रयत्नशील रहना होगा समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिव्यक्ति योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सांगानेर जिला जयपुर

क्रमांक/भू.अ./2023/90A/नामा/ 3063

दिनांक 13/4/23

पटवारी हल्का मुहाना

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 31-03-2023 को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्राप्त आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि प्रकरण में यदि किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा राजहित प्रभावित नहीं होता हो तो नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कार्यालय हाजा की नियंत्रण पंजिका में जायजा अंकित करें।

तहसीलदार (भू.अ.) सांगानेर

विद्यया ऽमृतमश्नुते

संवत् तथा दाल बीछ की क्रम संख्या: 2074-2077

नामांतरकरण शुल्क : 20 पावस्ति : 0



हस्ताक्षर *[Signature]*
 भू अ निरीक्षक का नाम
 दिनांक 06/05/23

6/5/23
तहसीलदार
महसील-सांगानेर

Put Up For Approval Details

Date : 05/05/2023 08:30:02 AM

Dist : 09 जयपुर, Tehsil : 295 सौगानेर, RI : 1318 मुहाना, Halkas : 05248 मुहाना, Village : 19632 जगतशरणपुरा

Unit:

Mutation No.	Mutation Date	User	Plot No.	Area	Mutated Plots	Area	type
94	05/04/2023	DINESH	172	1.8300(ROR)	191/172 192/172	NA NA	

प्रशासन गाँव के संग अभियान-2023

कैम्प.....



Scale 1: = 4000



Heena
ज. म. म. म.

IRR
IRR 361/2

05/04/2023

DINESH

180

1.5600(ROR)

194/180

193/180

NA

NA

ब्रह्मसिन गांव के सन



Scale 1: = 4000



Heema
प्र. मंडल

ILR
ILR ड्राइंग

Put Up For Approval Details

District : 09 जयपुर, Tehsil : 295 साँगाँनेर, RI : 1318 मुहाना, Halkas : 05248 मुहाना, Village : 19632 जगतश्रवणपुरा Date : 10/05/2023

Mutation No.	Mutation Date	User	Plot No.	Area	Unit:	Mutated Plots	Area	type
95	05/09/2023	DINESH	192/172	1.4100(ROR)		196/192 195/192	NA NA	



192/172

Scale 1 = 4000



195/192

Handwritten signature
र. मुहाना
10/5/23

Handwritten signature
JLR 3/5/23





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (11)
राजस्थान सरकार

(2)

15

क्रमांक: J02012/JDA/2023-24/1025505

विषय- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

दिनांक 24/04/2023

आदेश

सामग्री के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:-

श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरी सिंह जाति जाट सा. केरू, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झनू।

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1.	जगतश्रवणपुरा, सांगानेर (जयपुर)	श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरी सिंह जाति जाट सा. केरू, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झनू।	172	13900	रकबा 1.83 हैक्ट. में से रकबा 1.39 हैक्ट.
			180	1600	रकबा 1.56 हैक्ट में से रकबा 0.16 हैक्ट
				कुल	1.55

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित बटिफुल्लि बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्वीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिभूति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अधिभूति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अधिभूति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्धारित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्यवसायीक रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रमारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 24-04-2023 को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि

जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि

जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मूदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम
1	2	3	4	5	6
11	192/172	1.3000	चाही 2	37.70	1. दिलीपसिंह पुत्र डा. हरीसिंह हिस्सा- पूर्ण
		0.1100	जाव 2	1.60	जाति- जाट सा. केरू तह उदयपुरवाटी जिला झुझनू खातेदार
	194/180	0.0000	चाही 2	0.00	
		0.1600	जाव 2	2.32	
--बदस्तूर खसरा--					
खाता : 11	कुल खसरे : 6	कुल क्षेत्रफल : 3.0800	कुल काश्तकार : 1		

जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मूदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम
7	8	9	10	11	12
11	196/192	0.0000	चाही 2	0.00	1. दिलीपसिंह पुत्र डा. हरीसिंह हिस्सा- पूर्ण
		0.0200	जाव 2	0.29	जाति- जाट सा. केरू तह उदयपुरवाटी जिला झुझनू खातेदार
--बदस्तूर खसरा--					
खाता : 11	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 5	कुल क्षेत्रफल : 1.5300		
31	194/180	0.1600	आवासीय प्रयोजनार्थ		1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
	195/192	1.3900	आवासीय प्रयोजनार्थ		हिस्सा- पूर्ण
संस्था के लिए					
--बदस्तूर खसरा--					
खाता : 31	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 50	कुल क्षेत्रफल : 15.1500		

श्रीमान. जी,

(क) घटवारी की रिपोर्ट

मुताबिक तहसील दुम्री आदेश दि. के जविडा के जान नाम अवध व वरीजं व निर्दिष्ट हुं कि है। मुताबिक राजवत बरगड के वीर रमान मण्डी मॉरि, अचुत रहमन से संबंधित नहीं है। 11/07/2019 हुतावर

हस्ताक्षर
प्राप्तकारी का नाम
दिनांक

(ख) भू-अ. निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

मुलानिक पट्टरी रिपोर्ट के आकां तुलनात्मक है / 55
11/5/23

भू-अ निरीक्षक का नाम
दिनांक

(ग) ग्राम पंचायत राजस्व अधिकारी का आदेश

After lunch 11/5/23

खाता : 11	कुल खसरे : 6	कुल क्षेत्रफल : 3.0800	कुल काश्तकार : 1
खाता : 11	कुल खसरे : 5	कुल क्षेत्रफल : 1.5300	कुल काश्तकार : 1
खाता : 31	कुल खसरे : 50	कुल क्षेत्रफल : 15.1500	कुल काश्तकार : 1

Put Up For Approval Details

District : 09 जयपुर, Tehsil : 295 साँगाँनेर, RI : 1318 मुहाना, Halkas : 05248 मुहाना, Village : 19632 जगतश्रवणपुरा

Date : 10/05/2023

Mutation No.	Mutation Date	User	Plot No.	Area	Unit:	Mutated Plots	Area	type
95	05/09/2023	DINESH	192/172	1.4100(ROR)		196/192 195/192	NA NA	



192/172

Scale 1 = 4000



195/192

Handwritten signature
क. मुहाना
10/5/23

Handwritten signature
JLR 3/5/23



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (11)
राजस्थान सरकार

(2)

15

क्रमांक: J02012/JDA/2023-24/1025505

दिनांक 24/04/2023

विषय- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है-

श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरी सिंह जाति जाट सा. कैरू, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झुनू।

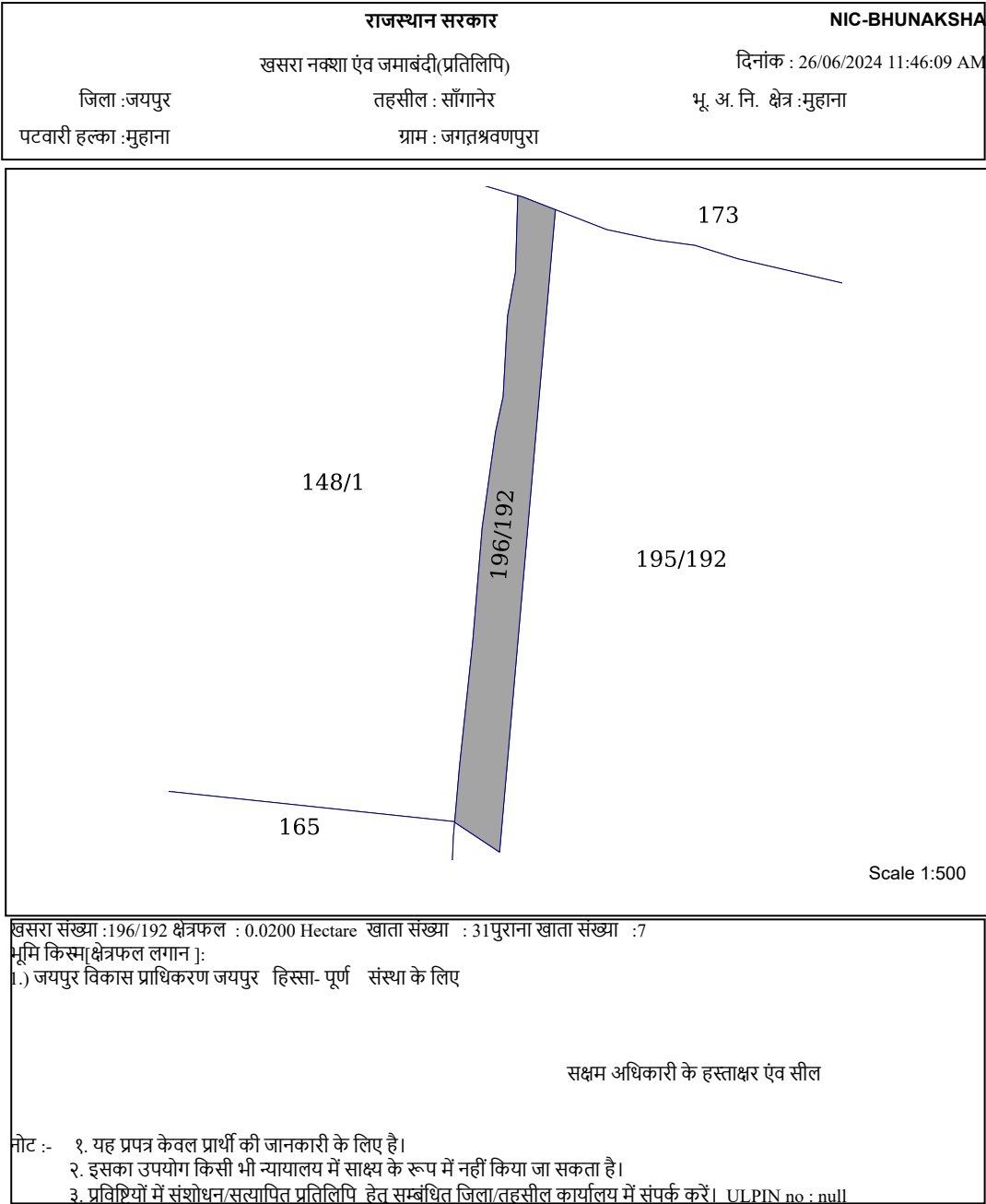
1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1.	जगतश्रवणपुरा, सांगानेर (जयपुर)	श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरी सिंह जाति जाट सा. कैरू, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झुनू।	172	13900	रकबा 1.83 हैक्ट. में से रकबा 1.39 हैक्ट.
			180	1600	रकबा 1.56 हैक्ट में से रकबा 0.16 हैक्ट
				कुल	1.55

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित खतिनूँ बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक को आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनावे गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक को अभिवृत्ति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्धारित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के ध्येनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रमारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के परचात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के परचात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 24-04-2023 को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर





जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ()जविप्रा/जोन-11/2024/डी-1985

दिनांक: 27/01/2024

श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरि सिंह
बी-209-सी, राजेन्द्र मार्ग, नगर निगम ऑफिस,
वार्ड नं. 45 के सामने, बापूनगर, जयपुर

विषय:- निजी खातेदारी की आवासीय योजना "गुलाब हरी एनक्लेव ब्लॉक-सी" ग्राम जगतश्रवणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का योजना मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा ग्राम जगतश्रवणपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 96/193, 97/194, 148/1, 172 किता 4 कुल रकबा 1.44 हैक्ट. भूमि पर सृजित निजी खातेदारी की आवासीय योजना "गुलाब हरी एनक्लेव ब्लॉक-सी" का मानचित्र अनुमोदन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम जगतश्रवणपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 96/193, 97/194, 148/1, 172 किता 4 कुल रकबा 1.44 हैक्ट. भूमि पर सृजित निजी खातेदारी की आवासीय योजना "गुलाब हरी एनक्लेव ब्लॉक-सी" का योजना मानचित्र बी.पी.सी. (एल.पी.) की 336वीं बैठक दिनांक 09.06.2023 में अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र रिकॉर्ड शाखा में क्रमांक 1408/बी दिनांक 13.03.2024 पर दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड शाखा में दर्ज किये जाने के पश्चात योजना मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- योजना मानचित्र की प्रति।

उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2024.09.27 10:36:15 IST
Reason: Approved



राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष 0141-2574798 : ईमेल jda@jda.rajasthan.gov.in : 7402-र. फैक्स 0141-2574799

10778522

LAYOUT PLAN OF " SCHEME GULAB HARI ENCLAVE BLOCK-C "

AT VILL- JAGAT SARVANPURA TEH- SANGANER JAIPUR

1408
B.
13.3.24.

SCALE:-1:500

